[2018] 3 उम. नि. प. 228

जी. सरस्वती और एक अन्य

बनाम

रतीनाम्मल और अन्य

15 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 और आदेश 41, नियम 31 – लैटर्स पेटेंट अपील – लैटर्स पेटेंट अपील का निपटारा करते समय न्यायालयों को अपने निर्णय में पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक वर्णन, निचले दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों, मामले को लागू विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में, पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों का उल्लेख करके न्यायिक विवेकबुद्धि का प्रयोग करते हुए, सकारण आदेश पारित करना चाहिए ।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था । प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन फाइल किए और वादपत्र में स्थापित अपीलार्थियों के दावे से संबंधित तात्विक प्रकथनों से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किए । पक्षकारों ने अपने-अपने साक्ष्य पेश किए । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के वाद को डिक्री कर दिया । प्रत्यर्थियों ने व्यथित महसूस करते हुए उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के समक्ष अपील फाइल की । एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों की अपील मंजूर कर ली और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थियों के वाद को खारिज कर दिया । अपीलार्थी ने इससे व्यथित महसूस करते हुए खंड न्यायपीठ के समक्ष लैटर्स पेटेंट अपील फाइल की । खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी जिससे विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय इस अपील को मंजूर करने, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और लैटर्स पेटेंट अपील को विधि के अनुसार गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चित

करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को प्रतिप्रेषित करने के लिए बाध्य है । (पैरा 10)

इस मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न हुई क्योंकि खंड न्यायपीठ ने अपीलार्थियों (वादियों) द्वारा फाइल की गई अपील को सरसरी तौर पर और उस मामले में उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद्यक और पक्षकारों द्वारा अपने-अपने समर्थन में दी गई दलीलों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया था । वास्तव में, अपील में अंतर्वलित तथ्यात्मक और विधिक संविवाद पर न्यायिक विवेकबुद्धि का प्रयोग न करने और इसके अतिरिक्त, पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक वर्णन, दोनों न्यायालयों के उन निष्कर्षों का कि उन्होंने मामले में उद्भूत होने वाले विवाद्यकों पर अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर किस प्रकार कार्यवाही की, का भी उल्लेख किए बिना और विवाद्यकों के संबंध में तथा मामले को लागू विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते समय इस बारे में कोई चर्चा, मूल्यांकन, तर्कणा और सुस्पष्ट निष्कर्ष निकाले बिना कि निचले दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष क्यों कायम रखे जाने या उलटे जाने चाहिए, इस न्यायालय के लिए खंड न्यायपीठ के ऐसे आदेश को कायम रखना कठिन है । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा लैटर्स पेटेंट अपील के निपटारे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41, नियम 31 की अपेक्षाओं के अनुरूप है । इस न्यायालय ने समय-समय पर न्यायालयों को प्रत्येक मामले में सकारण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें मुकदमे के पक्षकारों के मामले के स्पष्ट तथ्यों का वर्णन, मामले में उद्भूत विवाद्यकों, पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, अंतर्वलित विवाद्यकों को लागू विधिक सिद्धांतों तथा अपने निष्कर्ष के समर्थन में सभी विवाद्यकों के संबंध में निष्कर्षों के समर्थन में कारणों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए । यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि खंड न्यायपीठ ने अपील का निपटारा करते समय इस सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा और एक अस्पष्ट और अकारण आदेश पारित किया । निसंदिग्ध रूप से, ऐसे आदेश से पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे वे उन कारणों को जानने से वंचित हो गए कि एक पक्षकार विजयी क्यों हुआ और दूसरा पक्षकार पराजित क्यों हुआ । कभी भी उस रीति का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया था, जिसने अपील का गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के

लिए बाध्य किया । (पैरा 12, 13 और 14)

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 2112.

2000 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 32 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 2004 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय और भुवन जयंत

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री ज्योति पराशर, श्री एन. जे. रामचन्द्र और श्रीमती रेवती राघवन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2000 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 32 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 21 अप्रैल, 2004 के उस अंतिम निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपील खारिज कर दी थी और 1984 के अपील वाद सं. 630 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 अक्तूबर, 1998 के निर्णय और डिक्री को अभिपुष्ट कर दिया था ।

3. इस मामले के तथ्य बहुत संक्षिप्त हैं और यह इसमें इसके नीचे कथित तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा ।

4. अपीलार्थी उस सिविल वाद में, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, वादी हैं जबकि प्रत्यर्थी प्रतिवादी हैं ।

5. अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था । प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन फाइल किए और वादपत्र में स्थापित अपीलार्थियों के दावे से संबंधित तात्विक प्रकथनों से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किए । पक्षकारों ने अपने-अपने साक्ष्य पेश किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 3 जुलाई, 1984 के निर्णय/डिक्री द्वारा अपीलार्थियों के वाद को डिक्री कर दिया ।

6. प्रत्यर्थियों ने इससे व्यथित महसूस किया और उन्होंने उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के समक्ष अपील फाइल की । एकल न्यायाधीश ने तारीख 30 अक्तूबर, 1998 के अपने निर्णय/डिक्री द्वारा

प्रत्यर्थियों की अपील मंजूर कर ली और विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थियों के वाद को खारिज कर दिया ।

7. अपीलार्थी ने व्यथित महसूस करते हुए खंड न्यायपीठ के समक्ष लैटर्स पेटेंट अपील फाइल की । खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी जिससे विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की गई ।

8. इस अपील में विचारार्थ उद्भूत होने वाले संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ का अपीलार्थियों की लैटर्स पेटेंट अपील को खारिज करना न्यायोचित था ।

9. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री पी. वी. योगेश्वरन और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल सुश्री ज्योति पराशर की सुनवाई की गई ।

10. हम पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् इस अपील को मंजूर करने, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और लैटर्स पेटेंट अपील को विधि के अनुसार गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को प्रतिप्रेषित करने के लिए बाध्य हैं ।

11. आक्षेपित आदेश निम्नलिखित रूप में है :–

> "यह लैटर्स पेटेंट अपील तारीख 15 अप्रैल, 2004, बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई और अपील के आधारों, माननीय न्यायमूर्ति पी. थंगावेल के तारीख 30 अक्तूबर, 1998 के उस आदेश का, जो कि 1984 के अपील वाद सं. 630 में उच्च न्यायालय की विशेष अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किया गया था और इस मामले के लिए तात्विक सभी कागजपत्रों का परिशीलन करने और अपीलार्थियों की ओर से श्री टी. एम. हरीहरण, अधिवक्ता और प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. रघुनाथन, अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात् और यह अवेक्षा करने पर कि प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को नोटिस की तामील करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है तथा आज तक विचार करने के लिए नजर रखने के पश्चात्, यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में आदेश और डिक्री पारित करता है –

(i) यह कि तारीख 30 अक्तूबर, 1998 का निर्णय और आदेश, जो कि 1984 के अपील वाद सं. 630 में माननीय उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किया गया था, पुष्ट होगा और एतद्द्वारा पुष्ट किया जाता है; और लैटर्स पेटेंट अपील खारिज की जाती है; और

(ii) यह कि इस लैटर्स पेटेंट अपील में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।"

12. इस मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न हुई क्योंकि खंड न्यायपीठ ने अपीलार्थियों (वादियों) द्वारा फाइल की गई अपील को सरसरी तौर पर और उस मामले में उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद्यक और पक्षकारों द्वारा अपने-अपने समर्थन में दी गई दलीलों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया था ।

13. वास्तव में, अपील में अंतर्वलित तथ्यात्मक और विधिक संविवाद पर न्यायिक विवेकबुद्धि का प्रयोग न करने और इसके अतिरिक्त, पक्षकारों द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक वर्णन, दोनों न्यायालयों के उन निष्कर्षों का कि उन्होंने मामले में उद्भूत होने वाले विवाद्यकों पर अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर किस प्रकार कार्यवाही की, का भी उल्लेख किए बिना और विवाद्यकों के संबंध में तथा मामले को लागू विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते समय इस बारे में कोई चर्चा, मूल्यांकन, तर्कणा और सुस्पष्ट निष्कर्ष निकाले बिना कि निचले दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष क्यों कायम रखे जाने या उलटे जाने चाहिए, इस न्यायालय के लिए खंड न्यायपीठ के ऐसे आदेश को कायम रखना कठिन है । हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा लैटर्स पेटेंट अपील के निपटारे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) के आदेश 41, नियम 31 की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

14. इस न्यायालय ने समय-समय पर न्यायालयों को प्रत्येक मामले में सकारण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें मुकदमे के पक्षकारों के मामले के स्पष्ट तथ्यों का वर्णन, मामले में उद्भूत विवाद्यकों, पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, अंतर्वलित विवाद्यकों को लागू विधिक सिद्धांतों तथा अपने निष्कर्ष के समर्थन में सभी विवाद्यकों के संबंध में निष्कर्षों के समर्थन में कारणों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए । यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि खंड न्यायपीठ ने अपील का निपटारा करते

समय इस सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा और एक अस्पष्ट और अकारण आदेश पारित किया । निस्संदिग्ध रूप से, ऐसे आदेश से पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे वे उन कारणों को जानने से वंचित हो गए कि एक पक्षकार विजयी क्यों हुआ और दूसरा पक्षकार पराजित क्यों हुआ । हम कभी भी उस रीति का अनुमोदन नहीं कर सकते, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया था, जिसने हमें अपील का गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के लिए बाध्य किया ।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपील मंजूर करते हैं, आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और हमारे द्वारा ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपील का विधि के अनुसार गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को प्रतिप्रेषित करते हैं ।

16. तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले को ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की राय बनाते समय संविवाद के गुणागुण पर कोई मताभिव्यक्ति करने से विरत रहे हैं । अतः, उच्च न्यायालय अपील का विनिश्चय हमारी किसी भी मताभिव्यक्ति से प्रभावित हुए बिना, यथार्थ रूप से विधि के अनुसार करेगा । चूंकि यह अपील काफी पुरानी है इसलिए हम उच्च न्यायालय से यह अनुरोध करते हैं कि वह इस अपील का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करे ।

17. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश, उपर्युक्त निदेशों सहित अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.